रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 396] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 4, 1969/अग्रहायण 13, 1891
No. 396] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 4, 1969/AGRAHAYANA 13, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 4th December, 1969

S.O. 4858.—Whereas a vacancy has occurred in the Krishna Water Disputes Tribunal, constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Irrigation and Power No. S.O. 1419, dated the 10th April, 1969 consequent on the resignation of Shri Justice D. S. Mathur;

And whereas the Chief Justice of India has nominated Shri Justice D. M. Bhandari, Chief Justice of the Rajasthan High Court, to fill the said vacancy under section 5-A of the Inter-State Water Disputes Act 1956 (33 of 1956);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 4, read with section 5-A, of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification, namely:—

In the said notification, under the heading "Members" for item (iii), the following item shall be substituted, namely:—

"(iii) Shri Justice D. M. Bhandari, Chief Justice of the Rajasthan High Court."

[No. DW. II-32(19)/68.]

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 1969.

का० आ० 4858.—यतः भारत सरकार सरकार के सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1420 तारीख 10 अप्रैल, 1969 द्वारा गठित कृष्णा जल विवाद अधिकरण एक रिक्ति न्यायमूर्ति श्री डी० एस० माथुर द्वारा पद त्याग करने के परिणाम स्वरूप हुई है;

और यतः भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम 1956 (1956 का 33) की धारा 5 क के अधीन उक्त रिक्ति को भरने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति, न्यायमूर्ति श्री डी० एम० भण्डारी को नाम निर्देशित किया है ;

अतः अब केंद्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 5क के साथ पठित, धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना मे एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में 'सदस्य'—शीर्षक के नीचे मद (iii) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(3) न्यायमूर्ति श्री डी० एम० भण्डारी, मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय ।"

[सं० डी० डब्लु० II-32(19)/68]

S.O. 4859.—Whereas a vacancy has occurred in the Godavari Water Disputes Tribunal, constituted by the notification of the Government of India in the Ministry of Irrigation and Power No. S.O. 1421, dated the 10th April, 1969, consequent on the resignation of Shri Justice D. S. Mathur;

And whereas the Chief Justice of India has nominated Shri Justice D. M. Bhandari, Chief Justice of the Rajasthan High Court, to fill the said vacancy under section 5-A of the Inter-State Water Disputes Act 1956 (33 of 1956);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 4, read with section 5-A, of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification, namely:—

In the said notification, under the heading "Members" for item (iii), the following item shall be substituted, namely:—

"(iii) Shri Justice D. M. Bhandari, Chief Justice of the Rajasthan High Court."

By order and in the name of the President of India.

[No. DW. II-32(19)/68.]

V. V. CHARI, Secy.

का० आ० 4859.—यतः भारत सरकार के सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० 1422 तारीख 10 अप्रैल, 1969 द्वारा गठित गोदावरी जल विवाद अधिकरण मे एक रिक्ति न्याययूर्ति श्री डी० एस० माथुर द्वारा पद त्याग करने के परिणाम स्वरूप हुई है ;

और यतः भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने अन्तर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम 1956 (1956 का 33) की धारा 5क के अधीन उक्त रिक्ति को भरने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति, न्यायमूर्ति श्री डी० एम० भण्डारी को नाम-निर्देशित किया है

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 क के साथ पठित, धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना मे एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन और करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में "सस्दस्य—शीर्षक के नीचे मद (iii) के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(3) न्यायमूर्ति श्री डी० एम० भण्डारी, मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय ।"

[सं० डी० डब्लु० II-32(19)/68]

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से और उन के नाम में,

वी० वी० चारि, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969